मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 226 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 231 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र चितरंगी के बगदरा में निर्माणाधीन बांध का कार्य बंद होने,
(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के बडौदा में नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण किये जाने,
(3) श्री मधु भगत, सदस्य की परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी किसानों के हितों संबंधी योजना बंद होने,
(4) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण होने,
(5) श्री योगेन्द्र निर्मल, सदस्य की वारासिवनी स्थित जैन मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने,
(6) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के गौरिहार एवं चंदला के मध्य ग्रामीण सड़क के नष्ट होने,
(7) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम निवारा के समीप नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
(8) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य की छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने,
(9) कुं.हजारीलाल दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले में ग्राम पोपली से मोजपुर सड़क बनाई जाने तथा
(10) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिंगरौली जिले के ग्राम गड़ई में वन भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा दिये जाने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) बालाघाट जिले के मनरेगा में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न होने विषयक

श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रदेश में, विशेषकर बालाघाट जिले में मनरेगा में सैकड़ों मजदूरों का भुगतान लंबित है और उसका आंकलन आधारहीन किया है. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अध्यादेश की नियमावली का पालन नहीं किया गया है. यदि नियमानुसार आंकलन किया जाता तो यह राशि करोड़ों में होती. राशि मजदूरों के खाते में नहीं पहुँची है. कृपया मनरेगा में कार्यरत् मजदूरों को ईपीएफ के दायरे में लाकर उन्हें ईपीएफ नंबर सहित पास बुक उपलब्ध कराई जाए. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भुगतान में यदि विलंब होता है तो क्षतिपूर्ति के निर्धारित मापदंडों के अनुसार भुगतान किया जाये.

(2) देवरी विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बिजली कटौती होने विषयक

श्री हर्ष यादव, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि विधानसभा क्षेत्र देवरी के गांवों में लगातार बिजली कटौती होने से, छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है. परीक्षायें चल रही हैं. प्राकृतिक आपदा से किसान परेशान थे, जैसे-तैसे अच्छी फसलें आई हैं लेकिन सिंचाई न होने से उनमें आक्रोश है. कृपया इसमें सुनवाई हो.

(3) शाजापुर जिले के कालापीपल में एक गाय की हत्या की जाने विषयक

श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि शाजापुर जिले के कालापीपल थाने के अंतर्गत 10 मार्च को एक मंदिर के दरवाजे के सामने एक गाय की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई. पुलिस ने घटना को गंभीरता से नहीं लेकर कुत्ते के काटने से मृत्यु होना दिखा दिया. पीएम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने के कारण गाँव में और आसपास के क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बन रही है. मंत्री महोदय तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें.

(4) मनरेगा के मजदूरों को क्षतिपूर्ति दिए जाने विषयक

सर्वश्री उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल, सदस्यगण एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि मनरेगा के अंदर नियमानुसार क्षति पूर्ति देने का प्रावधान है लेकिन आज तक सरकार द्वारा नहीं दी गई है. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिये हैं कि किसी भी मद से यह राशि देना है, यह पूरे प्रदेश का मामला है. गरीब मजदूर पलायन कर रहे हैं.

(5) पवई नगर के तहसील मुख्यालय में हितग्राहियों को राशन पर्ची न मिलने विषयक

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि पवई नगर के तहसील मुख्यालय पर नागरिक आपूर्ति कार्यालय का सर्वर डाऊन होने के कारण पिछले 6 महीने से नई पर्चियाँ नहीं निकल पाने से हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पाया है, मंत्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करें.

(6) अरहर खरीदी में किसानों को समर्थन मूल्य दिलाए जाने विषयक

एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि शासन द्वारा अरहर हेतु 5050 रुपये का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है लेकिन मुरैना मंडी और विधान सभा क्षेत्र अम्बाह के पोरसा में 3000-3200 रुपये में मंडी के स्थान पर व्यापारियों द्वारा खरीदी जा रही है. इस कारण किसान परेशान और दु:खी हैं. उन्होंने मुरैना में आंदोलन भी किया था. किसानों से समर्थन मूल्य पर अरहर की खरीदी की व्यवस्था की जाए.

(7) भोजन, पानी के अभाव में वन्य प्राणियों द्वारा रहवासी क्षेत्र में प्रवेश करने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि वन विभाग के अमले द्वारा पानी और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था न करने के कारण वन का राजा रहवासी क्षेत्र में आ गया है. आकर जानवरों को खा रहा है. अत: मेरा वन मंत्री से आग्रह है कि जानवरों को सुरक्षित रखेने की व्यवस्था करादें अन्यथा बड़ी घटना हो जाएगी.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री दीपक कैलाश जोशी, राज्यमंत्री, श्रम ने मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(2) श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.) का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा.

(3) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने -
(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-16,
(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-16,
(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-16, तथा
(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-16
पटल पर रखे.

5. ध्यानाकर्षण

(1) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य ने बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के वनग्राम बोदालझोला में मूलभूत सुविधाओं के अभाव की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य ने नागदा खाचरौद क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध नहीं होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति ने लोक लेखा समिति का तीन सौ छप्पन वां से चार सौ इक्कतीस वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. साथ ही, समिति के कार्यों में सराहनीय सहयोग हेतु माननीय सदस्यों, प्रमुख सचिव विधान सभा एवं स्टॉफ के प्रति धन्यावद् ज्ञापित किया.

अध्यक्ष महोदय एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी लोक लेखा समिति के कार्य को अद्यतन रखने पर श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति महोदय एवं माननीय सदस्यगण के प्रति साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(2) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(4) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(5) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(6) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(7) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(8) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(9) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(10) कुं. हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(11) श्री आर. डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(12) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन शहर)
(13) श्री वीरसिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(14) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(15) श्री रामप्यारे कुलस्ते (जिला-मण्डला)
(16) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(17) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(18) श्रीमती प्रमिला सिंह (जिला-शहडोल)
(19) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(20) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(21) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(22) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(23) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(24) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
(25) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(26) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(27) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

9. वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 22 मार्च, 2017 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

10. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

(12) डॉ. नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन, जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री की मांगों पर दिनांक 20 मार्च, 2017 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री रामेश्वर शर्मा
(5) श्री के.पी. सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

11. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

12. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री सचिन यादव
(8) डॉ. मोहन यादव
(9) श्री शैलेन्द्र पटेल
(10) श्री नारायण सिंह पंवार
(11) श्री रजनीश सिंह
(12) श्री दिलीप सिंह परिहार
(13) श्रीमती शीला त्यागी
(14) श्री कमलेश्वर पटेल
(15) श्री प्रदीप अग्रवाल
(16) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(17) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(18) डॉ. रामकिशोर दोगने
(19) श्री लखन पटेल

(20) श्रीमती झूमा सोलंकी
(21) श्री वैलसिंह भूरिया
(22) कुंवर हजारीलाल दांगी
(23) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(24) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(25) श्री दिनेश राय
(26) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(27) श्री इन्दर सिंह परमार
(28) श्री हरदीप सिंह डंग
(29) डॉ. कैलाश जाटव
(30) श्री रामनिवास रावत
(31) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
(32) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(33) श्री मुरलीधर पाटीदार
(34) श्री मधु भगत
(35) श्री आर.डी. प्रजापति
(36) श्री गोपाल परमार
(37) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(38) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(39) श्री मानवेन्द्र सिंह

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(13) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार एवं खनिज साधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए नौ सौ उनतीस करोड़, सत्रह लाख, सतहत्तर हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 25	खनिज साधन के लिए सत्तर करोड़, छियालीस लाख, इक्यावन हजार रुपये, तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

सभापति महोदया (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा) पीठासीन हुई.

(2) श्री शैलेन्द्र जैन
(3) कुंवर सौरभ सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(4) श्री बहादुर सिंह चौहान
(5) श्री कमलेश्वर पटेल
(6) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(7) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(8) श्री दिलीप सिंह परिहार
(9) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार
(10) श्री जितू पटवारी
(11) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(12) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(13) श्री दिनेश राय
(14) श्री जालम सिंह पटेल

13. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 8 के उप पद क्रमांक 3 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

14. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

(15) डॉ. रामकिशोर दोगने
(16) श्रीमती शीला त्यागी
(17) श्री घनश्याम पिरौनियां

श्री राजेन्द्र शुक्ल ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(14) श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण एवं विधि और विधायी कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए सात हजार तीन सौ चवालीस करोड़, पचास लाख, चवालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य के लिए एक हजार अठहत्तर करोड़, सैंतालीस लाख, तीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए नौ सौ पैंतीस करोड़, दो लाख, इक्कीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में दलवार समय निर्धारण की अध्यक्षीय घोषणा के बाद, निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(3) श्री गोवर्धन उपाध्याय
(4) डॉ. मोहन यादव
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(7) डॉ. रामकिशोर दोगने
(8) श्री बहादुर सिंह चौहान
(9) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(10) श्री दिलीप सिंह परिहार

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(11) श्री बाला बच्चन
(12) डॉ. कैलाश जाटव
(13) श्री शैलेन्द्र पटेल
(14) इंजी. प्रदीप लारिया
(15) श्री हरदीप सिंह डंग
(16) श्री वीर सिंह पंवार
(17) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(18) कुंवर हजारीलाल दांगी
(19) श्री दिनेश राय
(20) श्री नारायण सिंह पंवार
(21) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(22) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(23) श्री रामनिवास रावत
(24) श्रीमती झूमा सोलंकी
(25) श्री पन्नालाल शाक्य
(26) श्री कमलेश्वर पटेल
(27) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(28) श्री कुंवरजी कोठार
(29) श्री वैलसिंह भूरिया
(30) श्री कुंवर सिंह टेकाम

श्री रामपाल सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 8.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 (1 चैत्र, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 मार्च, 2017